रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 1997/पौष 27, 1918
No. 36] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17, 1997/PAUSA 27, 1918

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 17 जनवरी, 1997

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) संशोधन विनियम, 1997

का.आ. 46(अ).— भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) विनियम, 1993 को और संशोधित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है।

1. (i) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) संशोधन विनियम, 1997 है।

   (ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 4 के उप-विनियम (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :—

   "बोर्ड को, और जानकारी प्राप्त होने पर, यदि यह राय है कि इस प्रकार दी गई जानकारी आवेदन पर विनिश्चय करने के लिए पर्याप्त नहीं है और पत्राचार द्वारा और जानकारी मंगवाने से मामले में विलम्ब होने की संभावना है, तो यह आवेदक को विनियम 3 के अधीन किए गए आवेदन पर और स्पष्टीकरण देने का एक अवसर देने के लिए, आवेदक या इसके प्रधान अधिकारी से बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकेगा।"

3. विनियम 5 को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:

   (क) विनियम 5 के परन्तुक में, "निश्चित अवधि" के लिए "एक मास" प्रतिस्थापित।

   (ख) विनियम 5 के अधीन पहले परन्तुक के पश्चात्, एक दूसरा परन्तुक निम्नानुसार परिवर्धित किया जाएगा :—

   "परन्तु यह और कि बोर्ड, पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर, आवेदक को बोर्ड की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में समर्थ बनाने के लिए समय को और एक मास तक बढ़ा सकेगा।"

4. विनियम 6 के खंड (ग) के पश्चात् एक स्पष्टीकरण निम्नानुसार संलग्न किया जाएगा :—

स्पष्टीकरण:— "इस खंड के प्रयोजनों के लिए बोर्ड यह विचार करेगा कि क्या आवेदक से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप में संबद्ध किसी व्यक्ति का प्रमाणपत्र के लिए पूर्वतन आवेदन बोर्ड द्वारा नामंजूर किया गया है अथवा अधिनियम या अधिनियम के अधीन बने किन्हीं नियमों या किन्हीं विनियमों के अधीन ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई की गई है।"

5. विनियम 8 में "पाया गया है," शब्दों के पश्चात् और "एक सूचना भेजेगा" शब्दों से पहले "ऐसे समाधान के एक मास के भीतर" शब्दों को अन्त:स्थापित किया जाएगा।

6. विनियम 10 के उप-विनियम (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :—

"बोर्ड द्वारा विनिश्चय ऐसे विनिश्चय के तीस दिनों के भीतर उसमें उन कारणों का कथन करते हुए जिन पर आवेदन नामंजूर किया गया है, संसूचित किया जाएगा।"

7. विनियम 11 में एक परन्तुक निम्नानुसार परिवर्धित किया जाए :

"परन्तु यह कि यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि यह विनिधानकर्ताओं के हित में है, यह हामीदार को प्रमाणपत्र की विधिमान्यता अवधि के दौरान उसके द्वारा पहले ही से की गयी हामीदारी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की अनुज्ञा दे सकेगा।"

8. (क) विनियम 12 के उप-विनियम (1) का पहला परन्तुक हटा दिया जाए।

(ख) विनियम 12 के उप-विनियम (1) के दूसरे परन्तुक में "परन्तु यह" शब्दों के बाद दिए हुए "और" शब्द को हटा दिया जाए।

9. (क) विनियम 25 के उप-विनियम (2) के खंड (क) में, "जांच के पश्चात्" शब्दों के बाद और "विनिर्दिष्ट अवधि के लिए" शब्दों से पहले "विनियम 26 के उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट आधारों के अधीन" शब्दों को परिवर्धित किया जाएगा।

(ख) विनियम 25 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) में, "रजिस्ट्रीकरण" शब्द से पहले "विनियम 26 के उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट आधारों के अधीन" शब्दों को परिवर्धित किया जाएगा।

10. विनियम 29 के उप-विनियम (2) में, "इक्कीस दिन" शब्दों को "तीस दिनों" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि-VII/1/97]

देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th January, 1997

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (UNDERWRITERS) AMENDMENT REGULATIONS, 1997

S.O. 46(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Securities and Exchange Board of India (Underwriters) Regulations, 1993.

1. (i) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Underwriters) Amendment Regulations, 1997.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Sub-regulation (2) of the Regulation 4 be substituted by the following :—

"If the Board, on receipt of further information, is of the opinion that the information so furnished is not sufficient to decide on the application and seeking further information through correspondence is likely to delay the matter, it may require the applicant or its principal officer to appear before the Board in order to give an opportunity to the applicant to give further clarifications on the application made under Regulation 3".

3. Regulation 5 shall be amended as follows :

(a) In the proviso to Regulation 5, for the "the time specified" substitude "one month".

(b) After the first proviso under Regulation 5, a second proviso shall be added as follows :—

"Provided further that the Board may, on sufficient reasons being shown extend the time by another one month in order to enable the applicant to comply with the requirements of the Board".

4. After clause (c) of Regulation 6 an Explanation shall be appended as under :—

Explanation :—"For the purposes of this clause the Board shall take into account whether a previous application for a certificate of any person directly or indirectly connected with the applicant has been rejected by the Board or any disciplinary action has been taken against such person under the Act or any of the Rules or any of the Regulations made under the Act".

5. In Regulation 8 after the words "send an intimation" and before the words "to the applicant" the words "within one month of such satisfaction" be inserted.

6. Sub-regulation (2) of Regulation 10 be substituted by the following :—

"The decision shall be communicated by the Board within thirty days of such decision stating therein the grounds on which the application has been rejected".

7. In Regulation 11 a proviso be added as follows :—

"Provided that if the Board is satisfied that it is in the interest of the investors, it may permit the underwriter to undertake the underwriting commitments already entered into by him during the validity period of the certificate."

8. (a) The first proviso of sub-regulation (1) of Regulation 12, be deleted.

(b) In the second proviso to sub-regulation (1) of Regulation 12 the word "further" appearing after the word "Provided" be deleted.

9. (a) In clause (a) of sub-regulation (2) of Regulation 25 after the word "registration" and before the words "after enquiry", the words "under the grounds specified in sub-regulation (1) of Regulation 26" be added.

(b) In clause (b) of sub-regulation (2) of Regulation 25, after the word "registration" the words "under the grounds specified in sub-regulation (2) of Regulation 26" be added.

10. In sub-regulation (2) of Regulation 29, the words "twenty one days" shall be substituted with the words "thirty days."

[F. No. SEBI/LE-VII/1/97]

D. R. MEHTA, Chairman.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997